



नेपाल राजपत्र

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ३७) काठमाडौं, चैत २१ गते २०४४ साल (अतिरिक्ताङ्क ६२ (क))

भाग ३

श्री ५ को सरकार

अर्थ मन्त्रालयको सूचना

श्री ५ को सरकारले घरजग्गा कर नियमहरू, २०२० को नियम ४ को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भद्रपुर, धरान, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौँडा, नारायणघाट, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, तानसेन, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी शहरी क्षेत्रहरूका लागि देहाय बमोजिमको घरजग्गा मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको छ।

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| १. सम्बन्धित जिल्लाका प्र. जि.अ. | - संयोजक |
| २. मालपोत कार्यालयका प्रमुख | - सदस्य |
| ३. सार्वजनिक निर्माण शाखाका प्रमुख | - सदस्य |
| ४. नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च | - सदस्य |
| ५. कर कार्यालयका प्रमुख | - सदस्य-सचिव |

आज्ञाले,

लोकबहादुर श्रेष्ठ

श्री ५ को सरकारको सचिव

श्री ५ को सरकारको छापाखाना, सिंहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

98



हमारा लाह

हमारे लाह के लिए

(क) १२ द्वाकरीती (लाह ४४०९ लाह) (क) १२ द्वाकरीती (लाह ४४०९ लाह)

१२ द्वाकरीती

हमारे लाह के लिए

हमारे लाह के लिए

कि ४ मसली कि ०९०९, हमारे लाह के लिए हमारे लाह के लिए ४ कि
हमारे लाह के लिए हमारे लाह के लिए हमारे लाह के लिए (१) हमारे लाह
हमारे लाह के लिए हमारे लाह के लिए हमारे लाह के लिए हमारे लाह के लिए
हमारे लाह के लिए हमारे लाह के लिए हमारे लाह के लिए हमारे लाह के लिए
हमारे लाह के लिए हमारे लाह के लिए हमारे लाह के लिए हमारे लाह के लिए

हमारे लाह के लिए
हमारे लाह के लिए
हमारे लाह के लिए
हमारे लाह के लिए

हमारे लाह के लिए
हमारे लाह के लिए
हमारे लाह के लिए
हमारे लाह के लिए

हमारे लाह के लिए
हमारे लाह के लिए
हमारे लाह के लिए
हमारे लाह के लिए

हमारे लाह के लिए हमारे लाह के लिए हमारे लाह के लिए ४ कि

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएको छि मात्र लागु हुनेछ

१४६४